भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2493

बुधवार, 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन, 1942 (शक)

भारतीय कामगारों संबंधी आईएलओ की रिपोर्ट

2493. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही की एक आईएलओ रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय कामगारों की औसतन मजदूरी सबसे कम है और फिर भी वे अधिकतर देशों के कामगारों की अपेक्षा अधिक घंटों के लिए काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कामगारों को इतना अधिक वंचित क्यों रखा जाता है और उन्हें कम मजदूरी क्यों दी जाती हैं;

(ग) भारतीय कामगारों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) नए श्रम कानूनों के उपबंध किस प्रकार से नियोक्ताओं द्वारा कामगारों के शोषण को रोक सकेंगे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): 'ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21: वेजेज एण्ड मिनिमम वेजेज इन द टाइम ऑफ कोविड-19' शीर्षक आईएलओ की रिपोर्ट आईएलओ के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अनेक विषयों पर टिप्पणी की गई है, जिसमें भारतीय कामगारों की कम औसत मजदूरी, अधिक कार्य के घंटे तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कामगारों का 2006-2019 की अवधि में सभी क्षेत्रों में उच्चतम वास्तविक मजदूरी वृद्धि शामिल है और इसमें भारत अन्य देशों के साथ अग्रणी देश है। इसके अतिरिक्त, औसत मजदूरी की तुलना करते समय इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय फ्लोर लेवल की न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा गया है, जो 176/- रुपये प्रतिदिन है। तथापि, वास्तविक मजदूरी इससे काफी अधिक है। यदि विभिन्न राज्यों की न्यूनतम मजदूरी का माध्य निकाला जाए तो देश में यह 269/- रुपये प्रतिदिन होगा।

मजदूरी संहिता, 2019 जिसे 08 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया है, में चाहे संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के कामगार हों, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को सार्वभौमिक और सांविधिक अधिकार बनाया गया है। मजदूरी संहिता में सांविधिक फ्लोर (न्यूनतम) मजदूरी की नई धारणा भी विकसित की गई है। इस संहिता में न्यूनतम मजदूरी की सामान्य रूप से समीक्षा किए जाने और पांच वर्षों से कम के अंतराल में समुचित सरकारों द्वारा इसमें संशोधन करने के उपबंध हैं।

*****